"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2010—चैत्र 19, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—डॉ. बी. एस. अनंत, भा.प्र.से. (1993) आयुक्त, आदिवासी विकास एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, आदिमजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2010

क्रमांक ई-1-11/2009/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 31/13/2009-EO (MM-I) दिनांक 10-3-2010 के तारतम्य में श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा.प्र.से. (CG :1991), सचिव, वित्त विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त की सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को संचालक, जनगणना, छत्तीसगढ़, रायपुर (Director, Census Operation, Chhattisgarh) के पद पर नियुक्ति हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिये तत्काल प्रभाव से सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2010

क्रमांक ई-7/34/2004/1/2.—डॉ. दुर्गेश मिश्रा, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता एवं गृह विभाग को दिनांक 13-04-2010 से 16-04-2010 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17 एवं 18 अप्रैल, 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. मिश्रा आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता एवं गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

क्रमांक ई-7/40/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19-01-2010 द्वारा डॉ. बी. एस. अनंत, भा.प्र.से., आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, रायपुर को दिनांक 15-01-2010 से 11-02-2010 तक (28 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी के अनुक्रम में डॉ. अनन्त को दिनांक 12-02-10 से 19-02-10 तक (08 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 फरवरी, 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2010

क्रमांक 356/108/2010/1/6.—राज्य शासन द्वारा डॉ. नवीनचंद पंत (भा.व.से.-1981) की सेवाएं वन विभाग से लेते हुए उनकी पदस्थापना सचिव, राज्य योजना मंडल के पद पर करने हेतु वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सैयद कौसर अली, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

क्र. 3097/824/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जितेन्द्र नाथ यादव, अधिवक्ता, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) को आदेश जारी होने के दिनांक से पुनः तीन वर्ष की कालावधि हेतु कोरिया (बैकुण्ठपुर) जिले के लिये शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

क्र. 3099/824/21-ब/छ. ग./2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जितेन्द्र नाथ यादव, अधिवक्ता, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया को आदेश जारी होने के दिनांक से पुनः तीन वर्ष की कालावधि हेतु जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. 3165/813/21-ब/छ. ग./2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री श्याम कृष्ण सहाय, अधिवक्ता, जशपुर, जिला-जशपुर को आदेश जारी होने के दिनांक से पुनः तीन वर्ष की कालावधि हेतु जिला-जशपुर के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. 3165/813/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री श्याम कृष्ण सहाय, अधिवक्ता, जशपुर, जिला-जशपुर को आदेश जारी होने के दिनांक से पुनः तीन वर्ष की कालावधि हेतु जशपुर जिले के लिये अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. 3167/810/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री शेखर राम, अधिवक्ता, कटघोरा, जिला-कोरबा को नियमित न्यायालय, कटघोरा में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. 3170/810/21-ब/छ. ग./2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री शेखर राम, अधिवक्ता, कटघोरा, जिला-कोरबा को नियमित न्यायालय कटघोरा में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामकुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2010

क्रमांक/एफ 1/13/दो गृह/भापुसे/2004.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राहुल भगत, भापुसे (2005), पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर को व्यक्तिगत महत्वपूर्ण कार्य हेतु दिनांक 15-03-2010 से दिनांक 27-03-2010 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 13, 14 एवं 28 मार्च 2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री राहुल भगत, भापुसे के उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री सुजीत कुमार, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर को सौंपा जाता है.

3. श्री राहुल भगत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री राहुल भगत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल भगत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2010

क्रमांक-एफ 3-15/09/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम	उस पुलिस थाने के नाम, तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-खडगांव	थाना-मोहला, तह.-मानपुर जिला-राजनांदगांव	खरदी	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना-मोहला, तह.-मानपुर जिला-राजनांदगांव	बोरिया मुकासा	20
		—,,—	बोरिया मंगला	20
		—,,—	दोरबा	21
		—,,—	मुरारगोटा (मुरारटोला)	21
		—,,—	दुलकी	21
		—,,—	बोदरा	21
		—,,—	कट्टापार	21
		—,,—	ताडो	21
		—,,—	पुसवाडा	21
		—,,—	पुसेवाडा	22
		—,,—	कोसमी	21
		—,,—	पेंदूर	21
		—,,—	गुदियागढ़	21
		—,,—	करियागोंदी	19
		—,,—	सम्बलपुर	19
		—,,—	सरोली	19
		—,,—	ढोकला कोण्डे	19
		—,,—	हथरा	19
		—,,—	एटेगर्दा	19
		—,,—	दिघवाडी	19
		—,,—	घोटिया	24
		—,,—	ढोढरी	24
		—,,—	बासुडी	24
		—,,—	भटगांव	20
		—,,—	कमानसुर	21
		—,,—	माढरी	23
		थाना-मानपुर, जिला-राजनांदगांव	सिवनी	22
		—,,—	कोहका	22
		—,,—	कुडुमकट्टा	22
		—,,—	घोडागांव	22
		—,,—	जक्के	22
		—,,—	भांदुर	22
		—,,—	कहडबरी	22
		—,,—	उमरवाल	22
		—,,—	अडजाल	22
		—,,—	फूलकोडो	25
		—,,—	मितगांव	23
		—,,—	चवेला	24
		—,,—	भावसा	24
		—,,—	कुम्हारी	23
		—,,—	हिलचुर	23
		—,,—	बाको	23
		—,,—	पदभरी	22
		थाना व तह.-मोहला, जिला-राजनांदगांव	उरमाल	17
		—,,—	रानाटोला	18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना व तह.-मोहला, जिला-राजनांदगांव	झरन	17
		—,,—	चावाटोला	18
		—,,—	अलकन्हार	18
		—,,—	डोकल कोण्डे	18
		—,,—	कोरबा	18
		—,,—	परसघाट	04
		—,,—	मोहभठ्ठा	17
		—,,—	सुअरपाल	17
2.	थाना-तरेगांव जंगल	थाना व तह.-बोड़ला, जिला-कबीरधाम	मुण्डादादर	
		—,,—	झोलाबहरा	
		—,,—	बनगौरा	
		—,,—	कुरकी	
		—,,—	केसमर्दा	
		—,,—	बाकी	
		—,,—	हड़की	
		—,,—	बाधमाड़ा	
		—,,—	भुरसीपकरी	
		—,,—	सेमछांटा	
		—,,—	रब्दा	
		—,,—	दरई	
		—,,—	सलगी	
		—,,—	गभोड़ा	
		—,,—	बम्हनतरा	
		—,,—	बदनापानी	
		—,,—	बांटीपथरा	
		—,,—	राली	
		—,,—	छुही	
		—,,—	कोटनापानी	
		—,,—	कुकरापानी	
		—,,—	भरतपुर	
		—,,—	लीलादादर	
		—,,—	दुर्जनपुर	
		—,,—	मुड़घुसरी	
		—,,—	ठाकुरटोला	
		—,,—	गुडली	
		—,,—	अमेरा	
		—,,—	सोनतरा	
		—,,—	पचराही	
		—,,—	मगरवाड़ा	
		—,,—	बोदा	
		—,,—	सीली	
		—,,—	अंधकीकछार	
		—,,—	घिरसाठोला	
		—,,—	तरसिंग	
		—,,—	गांगचुआ	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना व तह.-बोड़ला, जिला-कबीरधाम	दुल्लापुर	
		—,,—	मुकाम	
		—,,—	बंदौरा	
		—,,—	दलदली	
		—,,—	सुकझर	
		—,,—	पुतकी	
		—,,—	लब्दा	
		—,,—	कोकदा	
		—,,—	मालीभाठा	
		—,,—	पिपरखुंटा	
		—,,—	लरबक्की	
		—,,—	गांड़ाघाट	
		—,,—	धुंआछापर	
		—,,—	झुरगीदादर	
		—,,—	कौहापानी	
		—,,—	बरपानी	
		—,,—	आमानारा धनवाही	
		—,,—	चेंदरादादर	
		—,,—	कोयलारी	
		—,,—	साजाटोला	
3.	थाना-पील्लूर	थाना-फरेसगढ़, तह.-भोपालपट्नम जिला-बीजापुर.	पील्लूर	04
		थाना, तह.-भोपालट्नम	नीलमड़गु	04
		—,,—	कोण्डाकच्ची	04
		—,,—	कांडलापर्ती	04
		—,,—	कोण्डापड़गू	04
		थाना-फरेसगढ़, तह.-भोपालपट्नम जिला-बीजापुर.	सफीमरका	04
		—,,—	पेनकूटूर	04
		—,,—	मारवाड़ा	04
		—,,—	बड़े काकलेर	03
		—,,—	फूलगुण्डम	03
		थाना-फरेसगढ़, तह. जिला-बीजापुर	सागमेटा	02
		—,,—	अन्नानपुर	04
		—,,—	कर्रेमरका	02
		—,,—	मुक्कावेली	02
		—,,—	एलीगेण्ड्रा	02
4.	थाना-केरपे	थाना-बेदरे, तह.-भोपालपट्नम जिला-बीजापुर	केरपे	02
		—,,—	गोड़नुपुर	02
		—,,—	पेनगुण्डा	02
		—,,—	मादेपुर	02
		—,,—	फरसनार	02
		—,,—	डुडेपल्ली	02
		—,,—	रेंगावाया	02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना-बेदरे, तह.-भोपालपट्नम जिला-बीजापुर	करकावाड़ा	02
		—,,—	नेतीकाकलेर	02
		—,,—	टुडेम	02
		—,,—	नेतीवाड़ा	02
		—,,—	पासेवाड़ा	02
		—,,—	मरीमड़गु	02
		—,,—	फन्दीवाड़ा	02
		—,,—	मरकुड़	02
		—,,—	डोके	02
		—,,—	ओडरी	02
		—,,—	गुन्डापुरी	02
		—,,—	तुमीरगुण्डा	02
		—,,—	हल्बा तुमीरगुण्डा	02
		—,,—	परगना (वीरान ग्राम)	02
5.	थाना-सेन्ड्रा	थाना-फरसेगढ़, तह.-भोपालपट्नम जिला-बीजापुर	सेन्ड्रा	01
		—,,—	चेरपल्ली	01
		—,,—	गुड़तुल	01
		—,,—	एड़ापल्ली	01
		—,,—	इरपागुटटा	03
		—,,—	छोटेकाकलेर	03
		—,,—	पल्सेगुण्डी	01
		—,,—	रालापल्ली	03
		—,,—	टेकमेटा	03
		—,,—	जारागुड़ा	01
		—,,—	कोकेरा	01
		—,,—	आरेपल्ली	03
		—,,—	फुलगुण्डम	03
		—,,—	पासवाड़ा	02
		थाना-बेदरे, तह.-भोपालपट्नम जिला-बीजापुर	फंदीवाया	01
		—,,—	चिपनपल्ली	01
6.	थाना-तर्रेम	थाना-बासागुड़ा, तह.-उसुर जिला-बीजापुर	तर्रेम	23
		—,,—	कोरसागुडा	23
		—,,—	चिन्नागेलूर	23
		—,,—	पेददागेलूर	23
		—,,—	पेगड़ापल्ली	23
		—,,—	बर्कनागुलगुड़ा	23
		—,,—	बीरागुड़ा	23
		—,,—	गुण्डम	24
		—,,—	छुटवाही	24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना-बासागुड़ा, तह.-उसुर, जिला-बीजापुर	बड़े सकनापल्ली	22
		—,,—	छोटे सकनापल्ली	22
		—,,—	आउटपल्ली	22
		—,,—	कोण्डाल्ली	22
		—,,—	कोमटपल्ली	27
		—,,—	भट्टीगुड़ा	27
7.	थाना-मोसला	थाना व तहसील-बीजापुर, जिला-बीजापुर	मोसला	23
		—,,—	कड़ेनार	22
		—,,—	कैका	23
		—,,—	घुमरा	22
		—,,—	जपेली	23
		—,,—	दुरदा	23
		—,,—	कडेर	22
		—,,—	चेरकटी	22
		—,,—	कोटेर	22
8.	चौकी-सीतागांव	थाना-औंधी, तह.-मानपुर, जिला-राजनांदगांव	सीतागांव	30
		—,,—	सेण्डावाही	30
		—,,—	हलान्जूर	30
		—,,—	टाटेकसा	30
		—,,—	पीटेमेटा	30
		—,,—	मिचगांव	30
		—,,—	महका	30
		—,,—	पनेहूर	30
		—,,—	कुंजकन्हार	30
		—,,—	एडसमेटा	30
		—,,—	लेखेपाल	30
		—,,—	आमपायली	30
		थाना व तह.-मानपुर, जिला-राजनांदगांव	आमाकोडो	30
		—,,—	कंदाडी	30
		—,,—	हलोरा	30
		—,,—	मुरझर	30
		—,,—	एडमा (बड़मा)	30
		—,,—	चवरगांव	30
		—,,—	कुंदकाल	30
		—,,—	हुरवे	30
		—,,—	मूचर	30
		—,,—	मुंजाल	30
		—,,—	कारेकट्टा	30
		—,,—	रेते	30
		—,,—	मदनवाड़ा	30
		—,,—	हुरेली	30
		—,,—	दोरदे	30
		—,,—	कलवर	30
		—,,—	बोरकन्हार	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	चौकी-घोटिया	थाना व तह.-लोहण्डीगुड़ा, जिला-जगदलपुर	नदीसागर	
		—,,—	पराली	
		—,,—	तोड़नपाल	
		—,,—	पल्ली चकवा	
		—,,—	बड़े चकवा	
		—,,—	झारतराई	
		—,,—	भेंसगांव	
		—,,—	घोटिया	
		—,,—	नारायणपाल	
		—,,—	टेमरा	
		—,,—	रतेगा	
		—,,—	तिरथा	
		—,,—	पाथरी	
		—,,—	सुधापाल	
		—,,—	जाटनपाल	
		—,,—	गुनपुर	
		—,,—	आलवाही	
		—,,—	सावरापाल	
		—,,—	बोदरा	
		—,,—	रोतमा	
		—,,—	कुरूषपाल	
		—,,—	खोटलापाल	
10.	चौकी-ककनार	थाना-मारडूम, वि.ख.-लोहण्डीगुड़ा जिला-जगदलपुर.	एरपुण्ड	01
		—,,—	भालेवाही	01
		—,,—	पुषपाल (ए)	01
		—,,—	बोदेली	01
		—,,—	कहचेनार	01
		—,,—	सालेपाल	01
		—,,—	टेटम	01
		—,,—	पावेल (वनग्राम)	01
		—,,—	हर्राकोडेर	01
		—,,—	पिब्बीकोडेर	01
		—,,—	अमलीधार	01
		—,,—	चंदेला	01
		—,,—	कोडेनार	01
		—,,—	धर्माबेडा	01
		—,,—	ककनार	01
		—,,—	महिमा	01
		—,,—	पालम	01
		—,,—	पुषपाल (बी)	01
11.	चौकी-खड़गवां	थाना व तह.-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर	खड़गवां	19
		—,,—	केरता	15
		—,,—	पंछीडोंड़	14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना व तह.-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर	मानपुर	15
		—,,—	सुखदेवपुर	19
		—,,—	चन्दरपुर	19
		—,,—	मायापुर	19
		—,,—	जगरनाथपुर	14
		—,,—	माडीडॉड़	15
		—,,—	धरमपुर	15
		थाना-भटगांव, तह.-प्रतापपुर	बोझा	19
		थाना-भटगांव, तह.-सुरजपुर, जिला-सरगुजा	पाठकपुर	1
		—,,—	हरिपुर	1

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2010

क्रमांक एफ 7-9/2003/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 23 (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009, में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम के नियम 7 (3) (एक) (दो), नियम 11 तथा नियम 14 (एक) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किये जाय :—

नियम 7 (3) (एक) भण्डारण क्षमता एक समय में 250 टन तक के लिए भण्डारण शुल्क रुपये 20,000/- तथा गौण खनिज के लिए भण्डारण शुल्क रुपये 10,000/-

नियम 7 (3) (दो) प्रत्येक 100 टन या उसके भाग के लिंए अतिरिक्त भण्डारण शुल्क रुपये 2000/- तथा गौण खनिज के लिए भण्डारण शुल्क रुपये 1,000/-

नियम 11 **प्रतिभूति निक्षेप**— कोई आवेदक, अनुज्ञा पत्र के निर्बधनों तथा शर्तों का सम्यक् पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में एक बार में 250 टन तक भण्डारण अनुज्ञापत्र हेतु रुपये 50,000/- तथा अधिक भण्डारण मात्रा हेतु रुपये 1,00,000/- तथा गौण खनिज के लिए प्रतिभूति के रूप में एक बार में 250 टन तक भण्डारण अनुज्ञापत्र हेतु रुपये 25,000/- तथा अधिक भण्डारण मात्रा हेतु रुपये 50,000/- की राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र प्रदान करने या उसका नवीनीकरण करने की संसूचना की तारीख से सात दिवस के भीतर उसी रीति में जमा करेगा, जैसा कि नियम 7 के उपनियम (2) में विहित किया गया है. जमा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा.

नियम 14 (एक) . अनुज्ञप्तिधारी (परमिट होल्डर), स्वीकृत दिनांक से प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिए वार्षिक शुल्क रुपये 10,000/- तथा गौण खनिज के लिए रुपये 5,000/- उसी रीति में जमा करेगा जैसा कि नियम 7 के उपनियम (2) में विहित किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2010

क्रमांक एफ 7-9/2003/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7-9/2003/12, दिनांक 27 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2010

No. F 7-9/2003/12.—In exercise of the powers conferred by section 23C of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government hereby makes the following amendment in Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said rule, in place of rule 7 (3) (i) (ii), rule 11 and rule 14 (i) following shall be substituted :—

7 (3) (i) For storage capacity up to 250 tonne at a time the storage fee Rs. 20,000/- and for minor mineral the storage fee Rs. 10,000/-.

7 (3). (ii) In additional to above for each 100 tonne or its part Rs. 2,000/- and for minor mineral the storage fee Rs. 1,000/-.

11. **Security deposit**—Due observance of the terms and conditions of the permit the applicant shall deposit Rs. 50,000/- for storage permit up to 250 tons at a time and for extra storage Rs. 1,00,000/- and for minor mineral the applicant shall deposit Rs. 25,000/- for storage permit up to 250 tons at a time and for extra storage Rs. 50,000/- as security deposit within 7 (seven) days from the date of intimation of grant or renewal of permit by the competent authority in the same manner as prescribed in sub-rule 2 of rule 7. No interest will be liable for security deposit.

14 (i) The permit holder, from the date of sanction, for every calendar year shall deposit the annual fee of Rs. 10,000/- and for minor mineral the annual fee of Rs. 5,000/- in the same manner as prescribed in sub-rule 2 of Rule 7.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2010

शुद्धि पत्र

अधिसूचना क्रमांक एफ 7-9/2003/12.— दिनांक 14-08-2009 के छत्तीसगढ़ राजपत्र में छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009, प्रकाशित किया गया है. अशुद्ध रूप से मुद्रित नियम-2 "प्रतिषेध" को नियम-3 "प्रतिषेध" पढ़ा जाये एवं तदानुसार नियम-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को नियम-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 शुद्ध रूप से पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2010

क्रमांक एफ 7-9/2003/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की शुद्धि पत्र क्रमांक 7-9/2003/12, दिनांक 27 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2010

CORRIGENDUM

Notification No. 7-9/2003/12.—The rule 2 'Prohibition' to be read as Rule 3 'Prohibition' and subsequently Rule 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 be read as Rule 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 of Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009 published in the official gazette on dated 14-8-2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

क्रमांक एफ 9-6/2010/16.—प्रबंधक, श्री सुरेन्द्र लोढ़ा डायरेक्टर क्रेश स्टील एण्ड पावर प्रा. लि. जोरातराई, जिला राजनांदगांव के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनियुक्ति जनरल सेक्रेटरी, संयुक्त इंजीनियरिंग मजदूर संघ, दुर्ग द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक श्री सुरेन्द्र लोढ़ा डायरेक्टर क्रेश स्टील एण्ड पावर प्रा. लि. जोरातराई, जिला राजनांदगांव के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद के माननीय श्रम न्यायालय के पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप श्रम न्यायालय, राजनांदगांव के पंच

निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दर से 1.50 का हितलाभ दिये जाने का क्या औचित्य है ?

2. इस संबंध में श्रमिकों को क्या लाभ दिया जाना चाहिए ?.

3. श्रमिकों को रु. 300/- वाहन भत्ता दिये जाने की मांग की गई है, क्या लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं ?

4. प्रति वर्ष कार्यरत श्रमिकों को 2 यूनिफार्म दिये जाने की मांग की गई है ? तत्संबंध में श्रमिकों को क्या लाभ दिया जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

क्रमांक एफ 9-6/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि राजनांदगांव के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट जनरल सेक्रेटरी, संयुक्त इंजीनियरिंग मजदूर संघ, दुर्ग एवं श्री सुरेन्द्र लोढ़ा डायरेक्टर क्रेश स्टील एण्ड पावर प्रा. लि. जोरातराई, जिला राजनांदगांव के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक संबंध क्रमांक 02/तीन/सी.जी.आई.आर./2010

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2010/6/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	देवरी	918/6	0.567	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायपुर.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु
		प. ह. नं. 02	922	0.190		
			942	0.182		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			944/2	0.283		
			949	0.012		
			974/2, 1045/2	0.142		
			976/2	0.040		
			980	0.316		
			981	0.454		
			983/1	0.142		
			987/2	0.210		
			988, 989	0.509		
			990/1	0.009		
			992	0.004		
			999/2	0.004		
			1001/2	0.101		
			1013/1	0.012		
			1015/4	0.021		
			1016/1, 1017/1	0.009		
			1040	0.150		
			1041	0.138		
			1043	0.089		
			1056/1	0.136		
			1057/2	0.202		
			1058	0.324		
			1059/1	0.409		
			1068/2	0.405		
			1069	0.235		
			1070	0.243		
			1094	0.012		
			1098/1	0.174		
			1098/2	0.121		
			1099	0.134		
			1100	0.009		
			1101/2	0.101		
			1101/3	0.275		
			1102/2	0.186		
			1103	0.214		
			1107/1	0.294		
			1107/2	0.508		
			1197/1	0.202		
			1198/3	0.162		
			1198/4	0.162		
			1206	0.033		
			1717/2	0.511		
			1720	0.478		
			1721/2	0.389		
			1228/2	0.223		
			1233	0.219		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1235/1	0.122		
			1237	0.085		
			1286/1	0.295		
			1789/2	0.405		
			1792	0.656		
			1793/1	0.139		
			1793/2	0.140		
			1794	0.279		
			1810/5	0.108		
			1810/11	0.203		
			1813/4	0.121		
			1813/5	0.263		
			1821/3	0.405		
			1827/1	0.312		
			1827/2	0.311		
			1831/2	0.387		
			1832	0.454		
			1833/4	0.251		
			1839/1	0.323		
			1842/6	0.283		
			1842/8	0.142		
			1847/2	0.244		
			1846/5	0.607		
			1849/1, 1850/1	0.121		
			1850/2, 1849/2	0.121		
		योग	74	16.722		

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2010/7/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	ढाबाडीह प. ह. नं. 03	156/2	0.024	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायपुर.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु
			156/4 क, 156/5 क, 156/6, 157/1	0.122		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			156/9	0.222		
			159/6	0.281		
			214/1	0.405		
			214/2	0.405		
			214/3	0.592		
			215/1	0.145		
			215/2	0.373		
			423/1 च	0.405		
			423/1 ज	1.011		
			423/1 झ	0.685		
			224	2.039		
			225/8	0.235		
			225/9	0.502		
			230/2	0.202		
			230/3, 233/2	0.223		
			231/1	0.190		
			231/2	0.506		
			232/2	0.121		
			412/3, 413/3	0.235		
			441/7	0.708		
			464/1	0.073		
			481	0.158		
			482/2	0.121		
			498/4, 498/8	2.023		
			397/2, 401	0.304		
			399/5	0.235		
			400/1	0.081		
			400/2	0.169		
			411/2	0.510		
			411/3	0.231		
			414/2	0.219		
			416/3	0.648		
			416/4	0.607		
			416/5	0.081		
			417	0.029		
			418	0.101		
			419/1	0.154		
			419/2	0.207		
			419/3	0.012		
			422	0.085		
			423/1 ख	0.506		
			423/1 ग	0.125		
			423/16, 424/2	0.607		
			441/5	0.809		
			463/4	0.009		
			465	0.234		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			469	0.077		
			470	0.146		
			478/4	0.089		
			479/2	0.061		
			498/5	0.109		
			498/6	0.484		
			498/7	0.101		
			498/9	0.267		
			498/10	0.126		
			498/1	0.324		
			500/2	0.405		
			502	0.138		
			503	0.093		
			505/2	0.182		
			524/1	0.101		
			527	1.181		
			529/16	0.073		
			529/18	0.203		
			529/19	0.769		
			529/23	0.660		
			529/32	0.129		
			529/33	0.202		
			539/471	0.077		
			540/1/416	0.016		
			540/2/416	0.017		
			540/3/416	0.028		
		योग	74	24.027		

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2010/8/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	रसेड़ा प. ह. नं. 04	3/2 3/8, 17	0.146 0.142	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायपुर.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			16/1	0.299		
			16/2	0.025		
			27/2	0.144		
			27/3	0.081		
			27/7	0.041		
			27/8	0.088		
			28/8	0.021		
			27/9	0.049		
			29	0.134		
			30/2	0.047		
			76/7	0.105		
			76/10	0.113		
			76/16	0.202		
			76/17	0.077		
			76/18	0.182		
			76/25	0.073		
			76/26	0.142		
			76/28	0.068		
			76/31	0.134		
			76/35	0.131		
			76/38	0.101		
			76/39	0.312		
			76/40	0.105		
			76/41	0.069		
			76/42	0.089		
			76/44	0.154		
			76/45	0.053		
			76/46	0.109		
			76/47	0.174		
			76/48	0.060		
			76/49	0.227		
			76/50	0.117		
			76/51	0.077		
			76/52	0.239		
			76/53	0.125		
			76/61	0.077		
			76/62	0.077		
			76/64	0.102		
			76/65	0.081		
			76/66	0.041		
			76/67	0.049		
			76/68	0.138		
			76/76	0.121		
			76/77	0.154		
			76/83	0.122		
			86/1	0.223		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			86/2	0.121		
			86/5	0.122		
			92	0.178		
			96	0.162		
			99/1	0.145		
			99/3	0.098		
			103/4	0.121		
			103/6	0.336		
			115/2	0.154		
			148/5	0.101		
			148/7	0.110		
			150/1	0.219		
		योग	59	7.507		

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2010/9/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	सलौनी प. ह. नं. 01	57/2	0.100	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायपुर.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु
			58	0.370		
			59	0.130		
			60	0.120		
			92/1	0.081		
			92/2	0.490		
			104	0.050		
			106	0.430		
			120	0.230		
			122/1	0.041		
			161	0.050		
		योग	11	2.092		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 8 मार्च 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-खालेमुरवेंड, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.83 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
151/13	0.243
140-141	0.040
147/68	0.161
147/14	0.607
147/29	0.113
151/7	0.061
147/19 ग	0.153
147/19 ख	0.125
147/19 क	0.125
112/5 ख	0.242
68/10 क	0.117
68/100	0.129
68/16 क	0.137
106/10	0.068
106/5	0.056
25/13	0.040
89/2	0.040
115/44	0.153
112/4	0.182
68/98 क	0.141
115/10	0.125
112/16	0.49
115/10 ख	0.125
112/5 क	0.113
107/1 ख	0.170
68/72	0.161
68/34	0.121
68/10 ख	0.117
68/16 ख	0.113
68/99	0.129
106/3	0.161
90/12	0.081
106/2	0.202
89/1	0.040
25/3 ख	0.194
25/7	0.048
90/7 ख	0.141
25/8 ख	0.048
90/2	0.040
90/7 क	0.040
90/5 ख	0.032
90/10	0.032
योग	5.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-मुरनार व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत मुख्य एवं उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल अथवा कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 8 मार्च 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/3/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-केशकाल
(ग) नगर/ग्राम-मूरगांव, प. ह. नं. 7
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.453 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
11/39	1.726
21	0.231
11/15, 11/17	0.062
11/14	0.390
11/56 ग	0.064
11/59	0.506
11/12, 11/22, 21	0.585
11/28	0.137
11/44	0.246
11/56 क	0.289
11/33 क	0.217
याग	4.453

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-मुरनार व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत मुख्य एवं उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल अथवा कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 8 मार्च 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/6/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-बस्तर
(ग) नगर/ग्राम-चमिया, प. ह. नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.956 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
284	0.112
283	0.010
287/1	0.040
286	0.110
394	0.190
410	0.250
408	0.316
440	0.188
439	0.070
463	0.232
439	0.262
431	0.176
524	0.256
530	0.440
558	0.064
560/1	0.122
560/2	0.068
659/1	0.122
659/2	0.064
660	0.122
763	0.194
766	0.074
758	0.024
768	0.080
769	0.224
807	0.112
809	0.240
810	0.072
747	0.152
746	0.064
819	0.120
737/2	0.102
451	0.076
454/1	0.040
454/2	0.036

(1)	(2)
454/3	0.036
454/4	0.036
382	0.060
योग 38	4.956

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत अलनार माइनर नहर, देवड़ा सब माइनर नहर, चमिया सब माइनर नहर एवं सोनारपाल वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 8 मार्च 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/7/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े अलनार, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.960 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
280	0.040
329	0.060
330	0.044
331	0.072
279	0.208
278/2	0.120
278/1	0.120
278/3	0.160
260	0.042
342	0.048
258	0.016
259	0.052
257	0.256
255	0.100
254	0.140
420	0.140
248/1	0.394
434	0.222
246	0.024
437	0.210
436	0.052
440	0.160
441	0.064
439	0.020
532	0.196
योग 25	2.960

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत अलनार माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बस्तर, दिनांक 16 मार्च 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/16/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-कोण्डागांव
(ग) नगर/ग्राम-दहीकोंगा, प. ह. नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.128 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	105/16	0.128
योग	1	0.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-दहीकोंगा गोलावण्ड मार्ग के 1/6 कि.मी. पर बने पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण (सेतु निर्माण संभाग), जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 मार्च 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/17/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-कोण्डागांव
(ग) नगर/ग्राम-बड़े बंजोड़ा, प. ह. नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	45/31	0.061
योग	1	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-दहीकोंगा गोलावण्ड मार्ग के 1/6 कि.मी. पर बने पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण (सेतु निर्माण संभाग), जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 8 मार्च 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-कटघोरा
(ग) नगर/ग्राम-सराई सिंगार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.06 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
3, 4/1	0.41

(1)	(2)
12/2	0.10
692/2	0.10
12/1	0.07
14	0.10
94	0.10
405	0.18
496	0.20
13, 16, 17, 19, 25	0.75
24	0.10
76/1	0.16
67	0.20
373	0.07
26	0.08
23/1	0.12
76/2	0.15
68	0.20
81/3	0.07
89	0.07
376	0.16
402	0.10
90, 91	0.16
314/1	0.20
477/2	0.20
92	0.07
327	0.85
341	0.10
339, 340	0.05
343	0.03
95	0.05
397	0.10
403	0.12
93	0.07
406	0.60
488, 525	0.30
342	0.20
356	0.07
387	0.50
344/1	0.30
372	0.30
359	0.25
709, 710	0.70
357/1	0.25
377/1	0.02
478	0.30
357/2	0.12
377/2	0.04
716	0.16
102/1, 103/2	0.20
694/2	0.15
374	0.07
375	0.08
394/2	0.07
694/1	0.20
395	0.14
691	0.05
396/2	0.10
692/1	0.10
396/3	0.10
690	0.10
692/3	0.10
281/1	0.15
407	0.50
117	0.02
497	0.25
493	0.07
698	0.06
480/3	0.10
487	0.14
486	0.30
497	0.13
519/1	0.03
519/2	0.16
498	0.04
693	0.03
516	0.11
689	0.20
688	0.04
694/3	0.22
695	0.25
699	0.20
योग	14.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गंगदेई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 8 मार्च 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.42 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
550	0.09
551	0.46
548	0.10
549	0.07
481/3	0.05
481/4	0.15
482, 483, 543	0.13
543/2	0.06
495	0.20
518/9, 519/9, 521/9, 522/9, 523/9	0.17
518/5, 519/5, 521/5, 522/5, 523/5	0.25
518/4, 519/4, 521/4, 522/4, 523/4	0.30
518/3, 519/3, 521/3, 522/3, 523/3	0.20
518/6, 519/6, 521/6, 522/6, 523/6	0.35
518/11, 519/11, 521/11, 522/11, 523/11	0.40
512	0.18
654	0.20
627	0.15
672	0.15
626	0.35
674	0.08
675	0.10
671	0.07
332/5	0.22
621	0.10
555/1, 569/1	0.15
565/2	0.25
565/4	0.13
565/3	0.12
565/1	0.10
579	0.20
580	0.26
582	0.48
590	0.25
591	0.05
592, 593	0.13
594	0.05
601	0.20
595	0.07
600/1	0.13
596, 600/2	0.27
योग	7.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गंगदेई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 8 मार्च 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-चैनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.64 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
113/2	0.20
120/2	0.35
118/3	0.15
312/2	0.20
313/1	0.07
313/2	0.14
302/1	0.15
133/1	0.15
120/7	0.12
120/8	0.22
120/3	0.15
120/4	0.15
120/10	0.10
115/1	0.08
468/1	0.06
115/2	0.05
133/2	0.10
133/9	0.05
278	0.20
472	0.12
316/1	0.25
325/2	0.07
326	0.06
467	0.08
464	0.07
465	0.06
469	0.23
470	0.21
473	0.30
471	0.20
453, 454/1, 455/1, 474/1, 475/1	0.30
योग	4.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गंगदेई व्यपवर्तन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 8 मार्च 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-बिरदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.65 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
705/5	0.80
670, 671	0.15
669	0.12
667	1.40
678/37	0.18
योग	2.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - तेंदुवाही व्यपवर्तन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 8 मार्च 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-पाली
(ग) नगर/ग्राम-केराकछार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.85 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	663/2, 708	2.30
	671	1.30
	673/1 ख	0.25
योग		3.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लिटियाखार जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 8 मार्च 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-पोंडीउपरोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-आमाखोखरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.49 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	100/24	0.40
	100/25	0.40
	100/26	0.40
	100/27	0.40
	100/28	0.40
	100/29	0.40
	100/30	0.40
	100/31 क	0.10
	100/31 ख	0.10
	100/31 ग	0.10
	100/31 घ	0.10
	100/32	0.40
	100/33 क	0.20
	100/33 ख	0.20
	100/34	0.40
	100/35	0.40
	100/36	0.40
	100/37	0.40
	100/38	0.40
	100/39	0.40
	100/40	0.40
	100/41 क	0.13
	100/41 ख	0.13
	100/41 ग	0.13
	100/42	0.40
	100/43	0.40
	100/16	0.80
	100/63	0.70
योग		9.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कटघोरा व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कोरबा, दिनांक 15 मार्च 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-लबेद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.67 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
382	0.04
383	0.13
377/3, 378/3	0.16
121/1, 122/1	0.17
121/3	0.10
126/3, 126/4, 127/2, 128/3	0.18
120/4	0.08
92	0.54
136/2	0.18
136/3	0.09
योग	1.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चिताखोल जलाशय के नहर निर्माण प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 15 मार्च 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-बोकरदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-26.53 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
14/2, 16/4, 17/1, 18/2, 18/5, 28/5	1.64
14/1	1.23
12/1, 14/3	0.88
15	0.70
17/1	0.55
17/2	0.15
1/9	2.45
1/10	0.15
7/1, 8/2, 9/2, 12/2, 6/3	1.15
7/4, 16/1	0.94
7/3, 16/3	1.04
5/4, 18/1, 18/4, 25/3, 28/3, 30/4, 36/3	1.88
5/7, 18/8, 25/6, 28/9, 30/7, 36/4	1.05
28/2, 36/1	0.35
4/3, 5/6, 28/7, 29, 30/1	1.45
4/1, 5/1	1.91
2, 3, 4/2, 30/2	1.70
31/2	0.05
30/5, 31/1, 32	1.65
5/5, 14/6, 16/3	0.31
33/1, 34/1, 35/2	0.43
33/2, 34/2	0.51
1/4, 33/3	0.03
1/2	1.77
1/3	0.74
6/1	1.14
8/1, 9/1, 12/3	0.54
10	0.14
योग	26.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोकरदा जलाशय के बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि के प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 मार्च 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-कटघोरा
(ग) नगर/ग्राम-छुरीकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.542 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	734	0.287
	1737/1	0.045
	1738	0.210
योग		0.542

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- विद्युत उप केन्द्र की स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 9 मार्च 2010

क्रमांक/132/भू-अर्जन/अ.वि.अ./01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-गढ़सिवनी, प. ह. नं. 02
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1214	0.05
	1215	0.06
	1216	0.06
	1218	0.05
योग	4	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गढ़सिवनी परसाडीह मार्ग पर पुलिया निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 9 मार्च 2010

क्रमांक/133/भू-अर्जन/अ.वि.अ./02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-परसाडीह, प. ह. नं. 04
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54/1	0.23

(1)	(2)
57	0.28
79	0.15
83	0.12
84	0.15
85	0.03
86	0.05
योग 7	1.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गढ़सिवनी परसाडीह मार्ग पर पुलिया निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 17 मार्च 2010

क्रमांक/1379/कले/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अंतागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-हिमोंड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
153/1	0.02
153/2	0.35
योग	0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- नहकसा तालाब के बांध एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 17 मार्च 2010

क्रमांक/1382/कले/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-अंतागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अंतागढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
375	1.50
377	1.70
योग	3.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-नक्सली पीड़ित परिवारों के पुनर्वास हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निर्मल कुमार खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 30 दिसम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-गोर्रा, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.570 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
138/1	0.284
139	0.145
140/1	0.051
140/2	0.051
140/3	0.051
140/4	0.051
141	0.299
193	0.299
492	0.170
1161/1	0.028
161	0.274
162/4	0.036
163/1	0.887
495	0.057
190/3	0.159
176/1	0.149
189	0.437
536/2	0.057
1068/3	0.061
1132/2	0.061
192/1	0.049
192/3	0.073
192/4	0.080
190/4	0.097
192/2	0.266
192/5	0.113
493/1	0.121
1068/1	0.061
194/1	0.121
552	0.190
266/2	0.149
241	0.020
1160/1	0.041
493/2	0.069
550/2	0.073
494	0.222
496	0.002
583/1	0.109
1051	0.363
1067	0.291
1131/1	0.057
1162	0.040
535/2	0.089
535/5	0.016
538	0.085
539	0.073
549	0.032
960/2	0.462
551	0.008
573/1	0.032
1137	0.032
1159/6	0.058
573/2	0.081
5/4	0.154
575	0.041
576	0.105
700	0.169
583/2	0.089
585/1	0.057
586/1	0.057
704/2	0.081
704/3	0.032
176/2	0.331
237/1 ङ	0.008
237/1 क	0.101
237/5	0.109

(1)	(2)
237/6	0.097
237/11	0.030
238/2	0.049
582	0.069
584	0.316
588	0.089
589	0.226
1066	0.057
1133	0.057
239	0.380
536/1	0.057
537	0.040
572/2	0.028
240/1	0.153
1131/2	0.004
1134/1	0.141
1160/2	0.170
550/1	0.069
240/2	0.028
587	0.089
1155	0.129
1055/1	0.093
704/1	0.101
704/6	0.045
959/2	0.243
959/3	0.112
1050/1	0.086
1050/2	0.086
1154	0.202
1156/2	0.113
1056/2	0.061
1057	0.028
1077/1	0.037
1077/2	0.069
1132/1	0.004
1138	0.097
1139	0.061
162/5	0.013
1156/1	0.047
1156/3	0.018
1159/3	0.036
1159/4	0.058
1056/1	0.045
1056/3	0.121
योग 110	12.570

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से धनगांव वितरक नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 दिसम्बर 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-राईतराई, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.132 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	**रकबा (हेक्टेयर में)**
(1)	(2)
1	0.222
20/6	0.021
20/7	0.060
20/8	0.067
20/9	0.030
21/1	0.020
21/2	0.028
22	0.045
26	0.154
36	0.012
29	0.032
31	0.008

	(1)	(2)
	30	0.247
	33/1	0.093
	38/1	0.049
	35/1	0.131
	35/2	0.129
	35/3	0.121
	37	0.141
	39	0.093
	38/2	0.049
	24	0.158
	27	0.105
	33/2	0.101
	67/5	0.016
योग	25	2.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो परियोजना के मुख्य नहर से धनगांव वितरक नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्रमांक 9/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-धनगवां
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.07 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
663/1, 664/1, 665	0.48
669	0.46
837	0.40
521/2	0.18
602	0.24
617	0.28
619/1	0.44
667	0.28
679	0.40
691	0.14
695	0.13
836	0.12
541	0.20
523/1	0.28
540	0.60
523/3	0.18
501/1	0.22
542/1	0.94
497	0.09
500	0.11
677/12	0.18
513/2	0.24
514	0.39
648/2, 658	0.31
678/5	0.37
678/6	0.37
694/1	0.28
603/1, 604, 628/3	0.59
625/1	0.48
522	0.29
385	0.31
386	0.11
668	0.22
692	0.16
701	0.33
702	0.13
526/2	0.27
838/1	0.26
659	0.02
700	0.18
527	0.04

(1)	(2)
605	0.37
योग 42	12.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आन्दुल (जोगीडोंगरी) जलाशय की बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्रमांक 15/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-भदौरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.95 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1184/1	0.32
1034	0.39
1143/1	0.32
1185	0.06
1118/1	0.22
1121/2	0.66
1100/1	0.33
1113/4	0.62
1122/1	0.10
1028/2	0.30
1129/6	0.32
1143/6	0.32
1182/1	0.10
1169/9	0.24
1100/2	0.11
1028/1	0.18
1108/6	0.48
1168/1	0.05
1121/1	0.54
1181/1	0.27
1182/2	0.10
1183/2	0.29
1168/2	0.07
1179/1	0.19
1120/1	0.27
1167/2	0.08
1107	0.10
1106	0.38
1119/1	0.27
1100/4	0.29
1120/2	0.27
1031/4	0.11
1121/4	0.60
योग 33	8.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आन्दुल (जोगीडोंगरी) जलाशय के मुख्य नहर (एल.बी.सी.) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd March 2010

No. 224/L.G./2010/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare, Judge, Family Court, Bilaspur is hereby granted earned leave for 03 days from 25-03-2010 to 27-03-2010 and permission to prefix holiday of 24-03-2010 (Ram Navami) & suffix holiday of 28-03-2010 (Sunday) along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240 + 08 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2010

क्रमांक 47/दो-2-15/2002.—श्री अशोक कुमार पण्डा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 01-01-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06/दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.